




# THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

unicef   
unite for children



Dear All,

The Convention on the Rights of the Child (CRC) is an agreement between all governments in the world about the rights of all children everywhere. This year marks the 20th anniversary of the Convention. We have selected some rights that are very important to all children of India. The rights are written in a way that they are easily understood. You should know the rights that support you in growing up in good health, getting opportunities to learn and being loved and respected. We dedicate this book to you, the children of India, because these rights are yours and we are here to help you realise these rights. You are the present and the future of India.




Karin Hulshof

UNICEF India Representative

प्रियजन,

बाल अधिकार पर सम्मेलन सभी स्थानों के सभी बच्चों के अधिकार के विषय में विश्वभर की सरकारों के मध्य एक समझौता है। यह वर्ष सम्मेलन की बीसवीं वर्षगांठ है। हमने कुछ ऐसे अधिकार चुने हैं जो भारत के बच्चों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। यह अधिकार इस तरह लिखे गये हैं कि इन्हें आसानी से समझा जा सके। आपको वे अधिकार समझने होंगे जो बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, सीखने के अवसर प्राप्त करने तथा प्यार व प्रतिष्ठा पाने में मदद करें। हम यह पुस्तक आपको, भारत में बच्चों को, समर्पित करते हैं क्योंकि यह अधिकार आपका है और हम आपको इन अधिकारों का प्रयोग करने में मदद करने के लिए हैं। आप भारत का भविष्य व वर्तमान हैं।



करीन हुलशोफ  
भारत में युनिसेफ के प्रतिनिधि



To Parents and Teachers Around the Country,

The human rights of children and the standards to which all governments must aspire in realising these rights for all children, are most concisely and fully articulated in one international human rights treaty: the Convention on the Rights of the Child. The convention is the most universally accepted human rights instrument in history – it was ratified by India in 1992 – and uniquely places children centre-stage in the quest for the universal actualisation of human rights. By ratifying this instrument, national governments have committed themselves to protecting and ensuring children's rights, and they have agreed to hold themselves accountable for this commitment before the international community.

The Convention on the Rights of the Child is an universally agreed set of non-negotiable standards and obligations. It spells out the basic human rights of children. Every right in the convention is inherent to the human dignity and harmonious development of every child. The convention protects children's rights by setting standards for both parents and the state in health care, education and legal, civil and social services. These standards are benchmarks against which progress can be assessed and which states must regularly report both their successes and their failures to the international community at large. States that are party to the convention are obliged to develop and undertake all actions and policies in the light of the best interests of the child.



The Convention on the Rights of the Child is the first legally binding international instrument to incorporate the full range of human rights – civil and political rights as well as economic, social and cultural rights. For children to realise their rights, the first step is knowledge of what those rights are and how they are to be utilised and assessed. As parents and teachers, you bear both the privilege and the duty to enlighten those in your care. We hope that this booklet will enable you to fulfill that duty, and we hope that together, we will build a brighter, more informed future for generations of Indian children to come.

देश भर के प्रिय अभिभावक व शिक्षक,

बाल मानवाधिकार तथा वे मानक जिनके परिपालन की आकांक्षा बालाधिकार रक्षण के लिए सभी सरकारों को करनी चाहिए, अत्यधिक विशुद्ध व सुस्पष्ट रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समझौते में वर्णित है: बाल अधिकार पर सम्मेलन। यह सम्मेलन इतिहास में सर्वाधिक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानवाधिकार उपकरण है - इसकी पुष्टि १९६२ में भारत ने भी की तथा यह सम्मेलन मानवाधिकार के सार्वभौमिक परिपालन के लिए बच्चों को अनूटे ढंग से केन्द्र में रखता है। इस उपकरण की पुष्टि से राष्ट्रीय सरकार बालाधिकार को सुनिश्चित करने तथा संरक्षित करने हेतु प्रतिबद्ध हो गयी है तथा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष इस प्रतिबद्धता के लिए अपनी जवाबदेही स्वीकार कर ली है।

बालाधिकार सम्मेलन एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत अपरक्राम्य मानकों और बाध्यताओं का एक समूह है। यह बालकों के आधारभूत मानवाधिकार को स्पष्ट करता है। सम्मेलन का प्रत्येक अधिकार मानवीय गरिमा तथा हर बच्चे के विकास से संबद्ध है। अभिभावकों तथा राज्य के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा तथा विधिक, नागरिक व सामाजिक सेवाओं को मानक निर्धारित करके यह सम्मेलन बालाधिकार का रक्षण करता है। ये मानक वे निर्देश चिन्ह हैं जिनके आधार पर प्रगति का आकलन किया जा सकता है और जिसका प्रतिवेदन नियमित रूप से राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भेजना चाहिए। यह प्रतिवेदन राज्य की सफलता या असफलता दोनों के विषय में होना चाहिए। वह राज्य जो सम्मेलन के सदस्य हैं बालहित के प्रकाश में सभी कार्य तथा नीति लागू करने तथा विकसित करने के लिए बाध्य हैं।

बालाधिकार पर सम्मेलन सभी श्रेणियों के मानवाधिकारों को समाहित करने वाला पहला विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय उपकरण है। इसमें नागरिक व राजनीतिक अधिकारों के साथ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं। बच्चे अपने अधिकारों को समझ सकें, इसके लिए पहला कदम उन्हें अधिकारों की जानकारी देना तथा किस प्रकार वे इनका प्रयोग कर सकते हैं, यह बताना है। एक अभिभावक या शिक्षक के रूप में यह आपका विशेषाधिकार तथा कर्तव्य है कि अपने बच्चों को इसकी जानकारी दें। हम आशा करते हैं कि यह पुस्तिका आपको अपना कर्तव्य निर्वहन करने में मदद करेगी और आशा है कि साथ-साथ हम भारतीय बच्चों की एक अधिक सूचित तथा तेजस्वी पीढ़ी का निर्माण करेंगे।

## Guiding principles: General requirements for all rights

निर्देशक सिद्धान्त: सभी अधिकारों हेतु सामान्य आवश्यकताएं

### Article 1

Everyone under 18 years of age has all the rights in this convention.

### Article 2

The convention applies to everyone whatever your race, religion, abilities, whatever you think or say, whatever type of family you come from.

### Article 3

All organisations concerned with children should work towards what is best for each child.



### धारा १

१८ वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को इस कन्वेंशन सम्मेलन में सर्वाधिकार प्राप्त हैं।

### धारा २

कन्वेंशन सभी जाति, धर्म, योग्यता, विचार, वचन या परिवार के प्रकारों पर लागू है।

### धारा ३

बच्चों से संबंधित सभी संगठन प्रत्येक बच्चे के लिए जो सर्वोत्तम है वह करेंगे।



आंगनवाडी

भारत





#### Article 4

Governments should make these rights available to all children.

#### Article 6

You have the right to life. Governments should ensure that you survive and thrive.

#### Article 12

You have the right to say what you think should happen, when adults are making decisions that affect you, and to have your opinions taken into account.

#### धारा ४

सरकार को यह अधिकार सभी बच्चों को उपलब्ध कराने होंगे।

#### धारा ६

आपको जीवन का अधिकार प्राप्त है। सरकार को आपकी उत्तरजीविता तथा विकास सुनिश्चित करना होगा।

#### धारा १२

जब व्यस्क आपको प्रभावित करने वाले निर्णय ले रहे हों तो आपको जो घटित होना है उस पर अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है, और आपको यह भी अधिकार है कि आपके विचार को संज्ञान में लिया जाये।



# Survival and development rights: The basic rights to life and achieving one's full potential

जीवन के मौलिक अधिकार तथा अपनी उच्चतम योग्यता प्राप्त करना



## Article 7

You have the right to a legally registered name and nationality. You also have the right to know and, as far as possible, to be cared for, by your parents.

## धारा ७

आपको वैधानिक रूप से पंजीकृत नाम व राष्ट्रियता का अधिकार है। आपको जानने का भी अधिकार है और जहां तक संभव हो अपने अभिभावकों द्वारा देखभाल प्राप्त करने का भी अधिकार है।

## Article 9


You should not be separated from your parents unless it is for your own good, for example, if a parent is mistreating or neglecting a child. If your parents have separated, you have the right to stay in contact with both parents, unless this might hurt you.

## धारा ९

आपको अपने अभिभावकों से तब तक अलग नहीं किया जाना चाहिए जब तक

कि यह स्वयं आपके हित में न हो, उदारणार्थ यदि एक अभिभावक एक बच्चे से दुर्व्यवहार कर रहा है या उसकी उपेक्षा कर रहा है। यदि आपके माता-पिता अलग-अलग हो गये हों, तो आपको दोनों से संपर्क बनाये रखने का अधिकार है जब तक कि इससे आपको कोई आघात न पहुंचे।

जन्मपंजीकरण  
ओफिस





### Article 20

If you cannot be looked after by your own family you must be looked after properly by people who respect your religion, culture and language.

### धारा २०

यदि आपका अपना परिवार आपकी देखभाल नहीं करता तो ऐसे लोगों को आपकी देखभाल करनी चाहिए जो आपके धर्म, संस्कृति तथा भाषा का सम्मान करते हैं।

### Article 22

If you have come into the country as a refugee, you should have the same rights as children born in this country.

### धारा २२

यदि आप देश में शरणार्थी बनकर आये हैं तो आपको वही अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो देश में जन्म लेने वाले बच्चे को मिलते हैं।

### Article 23

If you have any kind of disability, you should have special care and support, so that you can lead a full and independent life.

### धारा २३

यदि आप किसी प्रकार विकलांग हैं तो आपको विशेष देखभाल व सहयोग मिलना चाहिए जिससे आप एक संपूर्ण व स्वतंत्र जीवन जी सकें।





#### Article 24

You have the right to good quality health care, to clean water, nutritious food and a clean environment, so that you will stay healthy.

#### धारा २४

आपको अच्छी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधा, शुद्धजल, पोषक भोजन तथा शुद्ध पर्यावरण का अधिकार है, जिससे आप स्वस्थ रहे सकें।

#### Article 25

If you are looked after by the local authority, rather than by your parents, you should have the situation reviewed regularly.

#### धारा २५

यदि आपकी देखभाल आपके माता-पिता के बजाए स्थानीय प्राधिकार द्वारा की जा रही है तो नियमित रूप से आपको स्थितियों की समीक्षा करनी चाहिए।

#### Article 26

You or your guardians have the right to help from the Government if you are poor or in need.

#### धारा २६

यदि आप गरीब या जरूरतमंद हैं तो आपको या आपके अभिभावकों को सरकार से सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

# अस्पताल



POLIO  
RAVIVAAR

अस्पताल



सत्यमेव  
जयते



### Article 27

You have a right to a standard of living that is good enough to meet your physical and mental needs. The Government should help your family if it cannot afford to provide this.

### धारा २७

आपको ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो आपकी शारीरिक तथा मानसिक जरूरतों को भली-भांति पूरा कर सके। सरकार को आपके परिवार की मदद करनी चाहिए यदि वह आपको यह सब उपलब्ध नहीं करा सकते।

### Article 28

You have a right to an education. Primary education should be free.

### धारा २८

आपको शिक्षा पाने का अधिकार है। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए।

### Article 29

Education should develop your personality and talents to the fullest as possible. It should encourage you to respect your parents, and your own and other cultures.

### धारा २९

शिक्षा ऐसी हो जो आपके व्यक्तित्व व प्रतिभा को उतना विकसित करे जितनी संभव है। यह आपको अपने माता-पिता, अपनी, तथा अन्य संस्कृतियों का आदर करने के लिए प्रोत्साहित करे।





### Article 30

You have a right to learn and use the language and customs of your family, whether these are shared by the majority of people in the country or not.

### धारा ३०

आपको अपने परिवार की भाषा व रीति-रिवाज सीखने तथा प्रयुक्त करने का अधिकार है, चाहे यह देश का अधिसंख्य लोगों की भाषा व रीति हो या न हो।

### Article 31

You have a right to relax and play and to join in a wide range of activities.

### धारा ३१

आपको आराम करने, खेलने तथा व्यापक स्तर पर गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार है।

### Article 42

The Government should make the convention known to all parents and children.

### धारा ४२

इस सम्मेलन की जानकारी सरकार को सभी माता-पिता व बच्चों को देनी चाहिए।



विद्यालय



## Protection rights: Keeping safe from harm

सुरक्षा अधिकार: क्षति से सुरक्षित होने के लिए

### Article 19

Governments should ensure that you are properly cared for; and protected from violence, abuse and neglect by your parents, or anyone else who looks after you.

### धारा १९

सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि आपकी उचित देखभाल हो रही है तथा आप अपने अभिभावकों या अन्य व्यक्ति जो आपका पालन-पोषण कर रहे हैं उनकी हिंसा, दुर्व्यवहार व उपेक्षा से सुरक्षित रहें।

### Article 32

The Government should protect you from work that is dangerous, or that might harm your health or education.

### धारा ३२

सरकार को आपको ऐसे कार्य से सुरक्षित रखना होगा जो खतरनाक है या जिससे आपके स्वास्थ्य या शिक्षा को क्षति पहुंच सकती है।

### Article 36

You should be protected from any activities that could harm your development.

### धारा ३६

आपके विकास को क्षति पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि से आपको सुरक्षित होना चाहिए।





### Article 35

The Government should make sure that children are not abducted or sold.

### धारा ३५

सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों का अपहरण तथा विक्रय न हो।

### Article 11

The Government should take steps to stop you from being taken out of your own country illegally.

### धारा ११

यदि आपको गैरकानूनी तरीके से आपके अपने देश से बाहर ले जाया जा रहा है तो सरकार को इसे रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए।

### Article 34

The Government should protect you from sexual abuse.

### धारा ३४

सरकार को चाहिए कि आपको लैंगिक दुर्व्यवहार से सुरक्षित रखे।







### Article 37

You should not receive any cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

### धारा ३७

आप से कोई निर्दय, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, तथा आपको दण्ड नहीं मिलना चाहिए।

### Article 40

If you are accused of breaking the law you should receive legal help. You should not be put in prison with adults and should be able to keep in contact with your family. Prison sentences for children should only be used for the most serious offences.

### धारा ४०

यदि आप पर कानून तोड़ने का आरोप है तो आपको कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। आपको कारागार में

वयस्कों के साथ नहीं रखा जाना चाहिए और हर स्थिति में आपको अपने परिवार के संपर्क में रहना चाहिए। केवल अत्यधिक गंभीर अपराध के मामले में ही बच्चों को कारावास का दण्ड देना चाहिए।



## Participation rights: Having an active voice

सहभागिता का अधिकार: एक सक्रिय अभिव्यक्ति

### Article 13

You have the right to get and to share information, to meet together and to join groups and organisations as long as it is not damaging to you or to others.

### धारा १३

आपके सूचना पाने तथा उसमें सहभागी रहने, मिलने-जुलने, समूह या संगठन में शामिल होने का अधिकार है जब तक कि यह आपके लिए या किसी अन्य के लिए घातक न हो।

### Article 14

You have the right to think and believe what you want, and to practice your religion, as long as you are not stopping other people from enjoying their rights. Parents should guide you on these matters.

### धारा १४

आपको जो आप चाहते हैं उसे सोचने और उसमें विश्वास रखने का, और अपने धर्म के पालन का अधिकार है जब तक कि

आप किसी अन्य को अपने अधिकार का उपयोग करने से बाधित न करें। इन मामलों में अभिभावकों को आपको निर्देशित करना चाहिए।







### Article 15

You have the right to meet together and to join groups and organisations, as long as this does not stop other people from enjoying their rights.

### धारा १५

आपको आपस में मिलने-जुलने और किसी समूह या संगठन में शामिल होने का अधिकार है जब तक कि इससे अन्य व्यक्तियों के अधिकार बाधित न हों।

### Article 16

You have a right to privacy. The law should protect you from attacks against your way of life, your good name, your families and your homes.

### धारा १६

आपको निजता का अधिकार है। कानून को आपकी जीवन शैली, आपकी प्रतिष्ठा, आपके परिवार तथा घर के विरुद्ध होने वाले आक्रमण से आपको सुरक्षित रखना होगा।

### Article 17

You have the right to reliable information from the mass media. Television, radio and newspapers should provide information that you can understand, and should not promote materials that could harm you.

### धारा १७

आपको जनमाध्यमों द्वारा विश्वसनीय सूचना पाने का अधिकार है। टेलीविजन, रेडियो व समाचारपत्रों को आपको ऐसी सूचना देनी होगी जो आप समझ सकें तथा ऐसी सामग्री को बढ़ावा नहीं देना होगा जिससे आपको क्षति पहुंचे।



## My notes

मेरे संक्षिप्त लेख



A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the right side of the page.

Illustrations by Mehul Mahicha



## United Nations Children's Fund

UNICEF House,  
73 Lodi Estate,  
New Delhi - 110 003

[www.unicef.in](http://www.unicef.in)

For additional copies please write to [sunaqvi@unicef.org](mailto:sunaqvi@unicef.org)  
or call +91 11 24691410 Extn. 168

*This publication is made possible by the generous support of IKEA Social Initiative.*